

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू०पी० (एस) संख्या 2100 वर्ष 2012

सुधा कुमारी

.... .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड सरकार, राँची
3. उपायुक्त, कोडरमा, डाकघर, थाना एवं जिला—कोडरमा
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, कोडरमा, डाकघर, थाना एवं जिला—कोडरमा
5. कार्यपालक दण्डाधिकारी—सह—वरीय पदाधिकारी, सतगावां, डाकघर एवं थाना—सतगावां, जिला—कोडरमा
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सतगावां, डाकघर एवं थाना—सतगावां, जिला—कोडरमा

.... .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिए: श्री आर०आर० तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए: सुश्री वंदना सिंह, वरिष्ठ एस०सी०—III

04 / 02.08.2021 वी०सी० के माध्यम से सुना।

2. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता यह अनुमति चाहते हैं कि इस मामले को उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति चाहते हैं, यदि ऐसी सलाह दी जाती है।
3. पूर्वोक्त सबमिशन के मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस लेने के रूप में, जैसा प्रार्थना किया गया है, के स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

(दीपक रोशन, न्याया०)